न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग), रूड़की, जिला हरिद्वार

परिवाद संख्या : 960/2022

कम्प्यूटर संख्याः 3225/2022

सतीश पाल बनाम ऋषिपाल आदि

<u>दिनांकः 19.11.2024—</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। नियमित अंतराल में कई बार पुकार लगवाई गई। परिवादी अनुपस्थित। ना ही उसकी ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पूर्व तिथि पर परिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हेतु निर्देशित किया गया था। आज ना ही उनकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी व स्थगन प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वाद अभिलेख पर आज ऐसा कोई आधार विद्यमान नहीं है, जिससे परिवाद की कार्यवाही स्थगित की जा सके। अतः परिवाद की उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(त्रिचा रावत)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर वरिष्ठ सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग),
रूड़की, जिला हरिद्वार।